

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

०५(हा-६)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442452 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्र.मांक : एफ/सम्बद्धता/2014/277

दिनांक : 21-10-2014

//अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26 अगस्त 2014 के पद क्रमांक (53) के निर्णयानुसार सर्वधर्म लॉ कॉलेज ग्वालियर को सत्र 2011-12 बी.ए. एल.एल.बी. (5 वर्षीय) द्वितीय वर्ष, एल.एल.बी. (3 वर्षीय), सत्र 2012-13 बी.ए. एल.एल.बी. (5 वर्षीय) तृतीय वर्ष, एल.एल.बी. (3 वर्षीय), एल.एल.एम. सत्र 2013-14 बी.ए. एल.एल.जी. (5 वर्षीय) चतुर्थ वर्ष, एल.एल.बी. (3 वर्षीय), एल.एल.एम. सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. एल.एल.बी. (5 वर्षीय) पंचम वर्ष, एल.एल.बी. (3 वर्षीय), एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के लिये अर्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. बी.ए. एल.एल.बी. की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की शायन से मान्यता है। शेष आगामी वर्षों की मान्यता नहीं है। अतः बी.ए.एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष को ही मान्यता दी जावे।
2. बी.सी.आई. के नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति 23(17) के अंतर्गत करें एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता का प्राचार्य नियुक्त करें।
3. एल.एल.एल. शिक्षण हेतु योग्य शिक्षकों को 28(7) में नियुक्त करें।
4. पुस्तकालय में बी.सी.आई. के नियमानुसार ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था करें।
5. पुस्तकालय में जर्नल्स तथा रिफरेंस बुक्स रुपये एक लाख की खरीदें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य सर्वधर्म लॉ कॉलेज ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रतनपुरा नगर, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंवल संभाग, भेती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर दो अंग्रे सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप-कुलसचिव(सहायक)